न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 132/2024

अनवान : –

1. मंगतुराम भार्गव पुत्र कूनण राज जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. चोरूलाल भार्गव पुत्र नत्थुराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. दारासिंह पुत्र कुरड़ाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. भंवरलाल पुत्र स्व0 कुरड़ाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. पप्पूराम पुत्र स्व0 कुरड़ाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. हेमलता पुत्री स्व0 कुरड़ाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. कमला देवी पत्नी नत्थुराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. सुनीता पुत्री नत्थुराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. प्रमेश्वरी पुत्री स्व0 कुनण जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. ग्यारसी पुत्री स्व0 कुनण जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. सोना देवी पुत्री चावली देवी पुत्री स्व0 कुनण जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. कमल कुमार पुत्र चिरंजीलाल पुत्र चावली देवी जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. विक्रम जीत पुत्र चिरंजीलाल पुत्र चावली देवी जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. ममता रानी पुत्री चिरंजीलाल पुत्र चावली देवी जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. उर्मिला पुत्री चिरंजीलाल पुत्र चावली देवी जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 26/5/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 31/19 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि कुनण पुत्र सुखराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुनण पुत्र सुखराम के नाम दर्ज जो की वादी का पिता है। कुनण पुत्र सुखराम का देहान्त हो चुका है तथा कुनण पुत्र सुखराम के दो लड़के नत्थुराम व कुरड़ाराम तथा एक लड़की चावली भी फौत हो चुकी है तथा चावली का एक लड़का चिरंजीलाल भी फौत हो चुका है इनके स्वर्गवास के बाद जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 है जो की वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त [illegible] अपना समस्त हक हिस्सा वादी संख्या 3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के [illegible] 5 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी संख्या 2 के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 7 एवं 9 ता 12 अपना [illegible] हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग उक्त वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:23:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज है जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 12 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी मृत्यु प्रमाण पत्र तीजा देवी, कुरड़ाराम, नत्थुराम व चावली, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुनण पुत्र सुखराम के नाम दर्ज जो की वादी का पिता है। कुनण पुत्र सुखराम का देहान्त हो चुका है तथा कुनण पुत्र सुखराम के दो लड़के नत्थुराम व कुरड़ाराम तथा एक लड़की चावली भी फौत हो चुकी है तथा चावली का एक लड़का चिरंजीलाल भी फौत हो चुका है इनके स्वर्गवास के बाद जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 है जो की वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त वाद भूमि मे अपना समस्त हक हिस्सा वादी संख्या 3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी संख्या 2 के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 7 एवं 9 ता 12 अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:23:03 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 31/19 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि कुनण पुत्र सुखराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुनण

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पुत्र सुखराम के नाम दर्ज जो की वादी का पिता है। कुनण पुत्र सुखराम का देहान्त हो चुका है तथा कुनण पुत्र सुखराम के दो लड़के नत्थुराम व कुरड़ाराम तथा एक लड़की चावली भी फौत हो चुकी है तथा चावली का एक लड़का चिरंजीलाल भी फौत हो चुका है इनके स्वर्गवास के बाद जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 है जो की वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 ने उक्त वाद भूमि मे अपना समस्त हक हिस्सा वादी संख्या 3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी संख्या 2 के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 7 एवं 9 ता 12 अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज है प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के उक्त कथनो को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 31/19 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि कुनण पुत्र सुखराम के नाम दर्ज है, में मृतक कुनण पुत्र सुखराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/9 हिस्सा भूमि का वादी स0 1 को, 1/9 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 को एवं 1/9 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:23:03 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 132 / 2024

अनवान : –

1. मंगतुराम भार्गव पुत्र कूनण राज जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. चोरूलाल भार्गव पुत्र नत्थुराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. दारासिंह पुत्र कुरड़ाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. भंवरलाल पुत्र स्व0 कुरड़ाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. पप्पूराम पुत्र स्व0 कुरड़ाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. हेमलता पुत्री स्व0 कुरड़ाराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. कमला देवी पत्नी नत्थुराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. सुनीता पुत्री नत्थुराम जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. प्रमेश्वरी पुत्री स्व0 कुनण जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. ग्यारसी पुत्री स्व0 कुनण जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. सोना देवी पुत्री चावली देवी पुत्री स्व0 कुनण जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. कमल कुमार पुत्र चिरंजीलाल पुत्र चावली देवी जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. विक्रम जीत पुत्र चिरंजीलाल पुत्र चावली देवी जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. ममता रानी पुत्री चिरंजीलाल पुत्र चावली देवी जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. उर्मिला पुत्री चिरंजीलाल पुत्र चावली देवी जाति डाकोत (भार्गव) निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 369 सन 2024 निर्णय दिनांक 26/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 31 / 19 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि कुनण पुत्र सुखाराम के नाम दर्ज है, में मृतक कुनण पुत्र सुखाराम का नाम कलमजन किया जाकर 1 / 9 हिस्सा भूमि का वादी स0 1 को, 1 / 9 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 को एवं 1 / 9 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/05/24 को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:23:03 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर